



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 34RAJ26005

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhapura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : राज/उदय/सीसाजस्ता-04/खंड-III

दिनांक : 23.03.2021

प्रेषित : खान एजेण्ट

बरोई लेड-जिक खदान
मैसर्स हिन्दुस्तान जिक लि.
पोस्ट-जावर, जिला-उदयपुर-313901(राजस्थान)
ईमेल- kishore.s@yedanta.co.in

विषय : राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी बरोई लेड-जिक खदान क्षेत्रफल 3620.00 हैक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 10.03.2021 को श्री देबान्शु चटर्जी, खान प्रबंधक एवं डॉ. एस. बी. शुक्ला, हेड जियोलॉजी के उपस्थिति में किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	Mining operation were carried out in contravention of following provisions of approved review of mining plan: (1) Water & sludge was observed in haulage drive & cross cuts on 128mRL level during the stoping inspection.
Rule 31(4)	Plans & sections required to be kept under rule 32 have not been maintained up to date within three months.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

23/03/2021

(डी. आर. गुर्जर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो